रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14062021-227592
CG-DL-E-14062021-227592

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 237] नई दिल्ली, सोमवार, जून 14, 2021/ज्येष्ठ 24, 1943
No. 237] NEW DELHI, MONDAY, JUNE 14, 2021/JYAISHTHA 24, 1943

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 जून, 2021

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (केंद्रीय अभिलेखापाल अभिकरण) (संशोधन) विनियम, 2021

सं.पीएफआरडीए /12/आरजीएल/139/7.—पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम 2013 (2013 का 23) की धारा 52 की उपधारा (2) के खंड (ङ), खंड (ञ), खंड (ट), खंड (ठ), खंड (ढ) खंड (ण) और खंड (त) के साथ पठित उसकी उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पेंशन निधि विनियामक तथा विकास प्राधिकरण एतद् द्वारा पेंशन निधि विनियामक तथा विकास प्राधिकरण (केंद्रीय अभिलेखापाल अभिकरण) विनियम, 2015 में संशोधन करते हुए निम्न विनियम बनाता है। नामतः -

1. इन विनियमों का नाम पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (केंद्रीय अभिलेखापाल अभिकरण) (संशोधन) विनियम, 2021 है।

2. यह विनियम शासकीय राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।

3. पेंशन निधि विनियामक तथा विकास प्राधिकरण (केंद्रीय अभिलेखापाल अभिकरण) विनियम 2015 में:-

(I) विनियम 15 का उप-विनियम (1) निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा -
अधिनियम, नियमों और विनियमों के उपबंधों के अनुपालन के अधीन रहते हुए, केंद्रीय अभिलेखपाल अभिकरण को अनुदत्त, रजिस्ट्रीकरण विधिमान्य बना रहेगा, जब तक कि उसे प्राधिकरण द्वारा निलंबित या रद्द न कर दिया

जाए, या ऐसी केंद्रीय अभिलेखपाल अभिकरण द्वारा अभ्यर्पित करने के लिए अनुज्ञप्त कर दिया जाए । रजिस्ट्रीकरण रद्द कर दिए जाने की दशा में, प्राधिकरण रद्दकरण की तारीख से कम से कम तीस दिन पूर्व केंद्रीय अभिलेखपाल अभिकरण को सूचना के और उसके धारित विनियमित आस्तियों के व्ययन या अंतरण के बारे में अनुदेश देगा।

(II) विनियम 18 का उप-विनियम (2) (ण) निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा -

अन्य मध्यवर्तियों या पणधारियों के साथ जैसे प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं, सेवा स्तरीय करारों का अनुपालन करना ;

(III) विनियम 21 का अनुच्छेद 2 निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा -

केंद्रीय अभिलेखपाल अभिकरण के प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट यथा अपेक्षित सभी सेवा स्तरों का निम्नलिखित प्रवर्गों के अधीन कडाई से पालन करना अपेक्षित होगा, अर्थात् :–

(i) राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन प्रत्येक पणधारी के लिए सेवा परिचालन और अनुरक्षण;

(ii) एप्लीकेशन, संरचना और प्रौद्योगिकी प्लेटफार्म, नेटवर्क, हार्डवेयर और मानव संसाधन या वैसी अन्य चीज़ों के सम्बंध में, जो प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं, कार्यपालन अपेक्षाएं।

(IV) विनियम 23 का उप-विनियम (क) निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा –

ऐसी अंतरण प्रक्रिया का विस्तृत कार्यक्रम, जिसके अंतर्गत अंतरण की पूरी प्रक्रिया या सेवाओं के बंद होने तक सेवाओं का सतत् उपबंध सुनिश्चित करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले उपायों का तथा अंतरण के दौरान प्रबंधन संरचना का ब्यौरा भी है ;

(V) विनियम 26 का उप-विनियम (1) निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा -

प्राधिकरण, वर्ष में कम से कम एक बार और जैसा प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किया जाए, प्रत्यक्ष रूप से या अपने किसी प्राधिकृत प्रतिनिधि या सम्परीक्षक के माध्यम से किसी प्रयोजन के लिए, जिसके अंतर्गत इस विनियम के अधीन यथाविनिर्दिष्ट प्रयोजन भी हैं, केंद्रीय अभिलेखपाल अभिकरण की लेखा बहियों, लेखाओं, अभिलेखों, जिसके अंतर्गत टेलीफोन के अभिलेख और इलैक्ट्रानिक अभिलेख भी हैं, और दस्तावेज़ों का निरीक्षण और संपरीक्षा कर सकेगा।

(VI) विनियम 26 के उप-विनियम 3(ख) के तहत प्रदान स्पष्टीकरण को निम्न स्पष्टीकरण से प्रतिस्थापित किया जाएगा –

स्पष्टीकरण- इस उपविनियम के प्रयोजनों के लिए, 'अर्हक संपरीक्षक' का वही अर्थ होगा जो कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 226 या कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 में उसका है ;

(VII) विनियम 31 का लोप कर दिया जाएगा।

सुप्रतिम बंदोपाध्याय, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असा./103/2021-22]

पादलेख:

1. मूल विनियम, पेंशन निधि विनियामक तथा विकास प्राधिकरण (केंद्रीय अभिलेखापाल अभिकरण) विनियम, 2015, भारत के राजपत्र में 27 अप्रैल 2015 को, अधिसूचना सं.पीएफआरडीए/12/आरजीएल/139/7 के माध्यम से प्रकाशित किये गए थे।
2. पेंशन निधि विनियामक तथा विकास प्राधिकरण (केंद्रीय अभिलेखापाल अभिकरण) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2018, भारत के राजपत्र में 25 जून 2018 को, अधिसूचना सं.पीएफआरडीए/12/आरजीएल/139/7 के माध्यम से प्रकाशित किये गए थे।
3. पेंशन निधि विनियामक तथा विकास प्राधिकरण (केंद्रीय अभिलेखापाल अभिकरण) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2020, भारत के राजपत्र में 29 जुलाई 2020 को, अधिसूचना सं.पीएफआरडीए/12/आरजीएल/139/7 के माध्यम से प्रकाशित किये गए थे।

PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th June, 2021.

PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY (CENTRAL RECORDKEEPING AGENCY) (AMENDMENT) REGULATIONS, 2021

No.PFRDA/12/RGL/139/7.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 52 read with clauses (e),(j), (k), (l), (n), (o) and (p) of sub-section (2) of the Pension Fund Regulatory and Development Authority Act, 2013 (23 of 2013), the Pension Fund Regulatory and Development Authority hereby makes the following regulations to amend the Pension Fund Regulatory and Development Authority(Central Recordkeeping Agency) Regulations, 2015 namely,: —

1. These regulations may be called the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Central Recordkeeping Agency) (Amendment) Regulations, 2021.

2. These shall come into force on the date of their publication in the official gazette.

3. In the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Central Recordkeeping Agency) Regulations, 2015:-

(I). Sub-regulation (1) of regulation 15 shall be substituted as below-

Subject to compliance with the provisions of the Act, the rules and regulations, the certificate of registration, granted to a central recordkeeping agency shall remain valid, unless suspended or cancelled by the Authority, or permitted to be surrendered by such central recordkeeping agency, for just cause to be shown. In the event of cancellation, the Authority, shall at least thirty days before the date of cancellation, deliver to the central recordkeeping agency, instructions as to the disposal or transfer of the information and regulated assets held by it.

(II). Sub-regulation (2) (o) of regulation 18 shall be substituted as below-

comply with the service level agreements with the intermediaries or stakeholders as may be specified by the Authority;

(III). Para 2 of regulation 21 shall be substituted as below-

The central recordkeeping agency shall be required to strictly adhere to all the service levels specified by the Authority under the following categories, namely: -

(i) service operations and maintenance for each stakeholder under the National Pension System;

(ii) performance requirements with respect to application, architecture and technology platform, network, hardware and human resources and other like things as may be specified by the Authority.

(IV). Sub-regulation (a) of regulation 23 shall be substituted as below-

a detailed program of the transfer process including details of the means to be used to ensure continuing provision of the services throughout the transfer process or until the cessation of the services and of the management structure during the transfer;

(V). Sub-regulation (1) of regulation 26 shall be substituted as below-

The Authority may, atleast once in a year and as decided by the Authority, undertake directly or through its authorized representative or auditor an inspection and audit of the books, accounts, records including the telephone records and electronic records and documents of the central recordkeeping agency for any purpose, including the purposes as specified under this regulation.

(VI). Explanation given under sub-regulation 3(b) of regulation 26 shall be substituted as below-

Explanation. - For the purposes of this sub-regulation, the expression "qualified auditor" shall have the meaning derived from section 226 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956) or Section 139 of the Companies Act, 2013.

(VII). Regulation 31 shall be omitted.

SUPRATIM BANDYOPADHYAY, Chairperson

[ADVT.-III/4/Exty./103/2021-22]

1. The Principal Regulations, The Pension Fund Regulatory and Development Authority (Central Recordkeeping Agency) Regulations, 2015 were published in the Gazette of India on 27th April, 2015 vide notification No. PFRDA/12/ RGL/139/7.
2. The Principal Regulations, The Pension Fund Regulatory and Development Authority (Central Recordkeeping Agency) (First Amendment) Regulations, 2018 were published in the Gazette of India on 25th June, 2018 vide notification No. PFRDA/12/ RGL/139/7.
3. The Principal Regulations, The Pension Fund Regulatory and Development Authority (Central Recordkeeping Agency) (Second Amendment) Regulations, 2020 were published in the Gazette of India on 29th July, 2020 vide notification No. PFRDA/12/ RGL/139/7.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.